

दिनांक :- 24-08-2022

यह प्रार्थनापत्र अभियुक्त राजू की ओर से अ०सं० 0418/2021, अन्तर्गत धारा-452,323,506 भा०दं०सं०, थाना- बांगरमऊ, जिला-उन्नाव, के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर इस न्यायालय में अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले में आरोप पत्र दाखिल होकर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा 20-20 हजार रुपये की दो जमानते व उसी धनराशि का निजी वन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(कविता अग्रवाल)

आई०डी०-यू०पी० 1937

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०- 01, उन्नाव।